न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर राज.

पीठासीन अधिकारी - श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रा0पत्र संख्या - 14/2021
दायरा दिनांक - 05.04.2021
निर्णय दिनांक - 11-8-21

उनवान

1. श्रवण सिंह पुत्र राजूसिंह जाति राजपूत निवासी बुटेरी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

-- प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार बानसूर बहैसियत लैण्डहोल्डर, तहसील बानसूर जिला अलवर

-- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उपस्थित अधिवक्तागण :-

1. प्रार्थी - श्री नरेन्द्र शर्मा एड.
2. अप्रार्थी - पैरोकार सरकार

-:निर्णय:-

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 225 रकबा 0.14 हैक्ट., साबिक खसरा नम्बर 164 रकबा 11 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 241 रकबा 0.05 हैक्ट., साबिक खसरा नम्बर 178 रकबा 04 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 254 रकबा 0.03 हैक्ट., साबिक खसरा नम्बर 190 रकबा 02 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 288 रकबा 0.35 हैक्ट., साबिक खसरा नम्बर 219 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 247 रकबा 1.04 हैक्ट., साबिक खसरा नम्बर 183 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा, वाके मौजा ग्राम बुटेरी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 से दौराने बन्दोबस्त सम्वत 2060 से बनाये गये है।

प्रार्थी के पिता का सही नाम राजूसिंह है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने दौराने बन्दोबस्त सम्वत 2060 बनाते समय प्रार्थी के पिता का नाम राजू सिंह के बजाय रामू सिंह कर दिया। जो गलत है जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र आदि में प्रार्थी के पिता का सही नाम राजू सिंह पुत्र छीतर सिंह ही दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों को पूर्व से चले आ रहे सही नाम का ही रिपिटेशन करना चाहिये था लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करते

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

हुए प्रार्थी के पिता का नाम राजू सिंह के स्थान पर रामू सिंह दर्ज कर दिया जो गलत है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी राजू सिंह पुत्र छीतर सिंह दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये।

प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाता है तो उन्हे कोई ऐतराज नही है। न्यायालय के आदेशो की पालना की जावेगी।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया। विवादित आराजी प्रार्थी के पिता को उनके पिता छीतर सिंह पुत्र बालसिंह की मृत्यु उपरान्त विरासत नामान्तकरण संख्या 476 से प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थी के पिता का सही नाम राजू सिंह ही दर्ज है तथा जमाबंदी संवत 2045 में सही अंकन किया गया है परन्तु संवत 2060 की जमाबंदी बनाते समय प्रार्थी के पिता का नाम राजू सिंह के बजाय रामू सिंह गलत अंकन किया गया है जिसकी पुनावृति हाल रिकार्ड में होती चली आ रही है तथा प्रार्थी के पिता के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में भी सही नाम ही अंकित है। उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 225 रकबा 0.14 हैक्ट., खसरा नम्बर 241 रकबा 0.05 हैक्ट., खसरा नम्बर 254 रकबा 0.03 हैक्ट., खसरा नम्बर 288 रकबा 0.35 हैक्ट., खसरा नम्बर 247 रकबा 1.04 हैक्ट., वाके मौजा ग्राम बुटेरी तहसील बानसूर में प्रार्थी के पिता का नाम रामू सिंह पुत्र छीतर सिंह के बजाय राजू सिंह पुत्र छीतर सिंह शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तहसीलदार बानसूर को अहकाम जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

आज दिनांक 11-8-21 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner